

सुरक्षा अलर्टः खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम्स के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशंस के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफटी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय—समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउटंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूतम वर्टिकल व हॉरिजंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/ उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहाँ लाइन किसी मवन/ढांचे/ बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम सम्पलदूरी/ हॉरिजंटल विलयरेस जहाँ लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 कंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त ^{33000 वोल्ट या उसके भाग पर)}	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त ^{33 कंवी या उसके भाग पर)}

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में वाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्त्यक या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

मोबाइल ऐप, टौल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टौल प्री 24x7
19122



एसएमएस
5616108



बिजली चोरी संबंधी
8588892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808

सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

हमेशा अलर्ट रहें और अपने
बिजली बिल का भुगतान
बनोफाइड प्लेटफॉर्म्स के
माध्यम से ही करें



बीआरपीएल

बीवाईपीएल

बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "Hi" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें	बस "Hi" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीआरपीएल पावर ऐप	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bsesdelhi.com	
ई-वॉलटेस	पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेज़ॉन पे	
क्यूआर कोड	बिल पर छपा	
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर छपा	



BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और^{मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके}

पर्यावरण-अनुकूल, वाहनों को बढ़ावा



बीएसईएस ने इन इंस्टॉलेशंस को फेसिलिटेट किया है:

3000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स

1000 से लोकेशनों पर दिल्ली में

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कट्टकड़मा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273
ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com